भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
बी-1 विंग, 8वीं, 9वीं एवं 12वीं मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनाँक: 16 फरवरी, 2016

संख्या-11020/13/2015-एसबीएम

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: स्वच्छ भारत मिशन हाइक पर जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करना।

महोदया/महोदय,

आप इस बात से अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) को निरंतर चर्चा, विचारों के आदान-प्रदान, प्रायोगिक समाधान और आपसी ज्ञान को साझा करने के लिए एक फोरम की आवश्यकता है। इस मुद्दे को इसकी संपूर्णता में हल करने की जटिलता को देखते हुए विशेष रूप से व्यवहारगत परिवर्तन के मुद्दे में, हमें अन्य स्थानों पर कारगर उपायों को निरंतर जानने की आवश्यकता है।

2. आप इस बात से सहमत होंगे कि जिले, प्रमुख कार्यान्वयन इकाइयाँ होती हैं और जिले में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए कलेक्टर/सीईओ जिला पंचायत प्रमुख प्रेरक बल हैं। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए जिला कलेक्टर/सीईओ जिला पंचायत सबसे उपयुक्त हैं विशेषकर उन सुझावों को साझा करने के लिए जो व्यापक पैमाने में कार्य कर रहे हैं और स्थायी परिणाम दे रहे हैं।

3. स्वच्छ भारत मिशन हाइक एक ऐसा ही फोरम है जहाँ इस प्रकार के ज्ञान को निरंतर साझा किया जाता है। अब यह आवश्यक है कि इस समूह को अधिक से अधिक कलेक्टरों/सीईओ जिला पंचायत, जो कार्यक्रम के लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं, शामिल करके बड़ा किया जाए। अत: यह अनुरोध है कि आप अपने सभी डीएम/सीईओ जेडपी को हाइक स्वच्छ भारत समूह में जोड़ें। इस कार्य हेतु प्रत्येक राज्य के राज्य समन्वयक/मिशन निदेशकों को हाइक समूह का 'एडमिन' बनाया जा रहा है।

4. चूँकि हाइक समूह में अधिकतम केवल 500 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है और स्वच्छ भारत हाइक समूह में पहले से ही 220 से ज्यादा सदस्य हैं, यह अपेक्षित है कि केवल डीएम अथवा सीईओ जेडपी को ही इस स्तर पर इसमें जोड़ा जाए। अन्य अधिकारियों/गैर-अधिकारियों को जो एसबीएम-जी के कार्यान्वयन में प्रमुख हैं तो उन्हें भी मंत्रालय के साथ परामर्श करके जोड़ा जाए।

5. यह प्रक्रिया फरवरी 2016 के अंत तक पूरी कर ली जाए।

6. राज्य एडमिन द्वारा स्वच्छ भारत हाइक समूह में जोड़े गए डीएम/सीईओ के नाम, पदनाम और मोबाइल संख्या, सुश्री भावना ठाकुर, परामर्शदाता (मोबाइल: 9910562907/ ई-मेल: bhavana.thakur@gov.in) को भेजें।

भवदीय,

(डॉ० निपुन विनायक)
निदेशक (एसबीएम-जी)

प्रतिलिपि:

1. एसबीएम(जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।